## Rule 35: Value of supply inclusive of integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax

Where the value of supply is inclusive of integrated tax or, as the case may be, central tax, State tax, Union territory tax, the tax amount shall be determined in the following manner, namely,-

Tax amount = (Value inclusive of taxes X tax rate in % of IGST or, as the case may be, CGST, SGST or UTGST) ÷ (100 + sum of tax rates, as applicable, in %)

**Explanation**—For the purposes of the provisions of this Chapter, the expressions—

- (a) "open market value" of a supply of goods or services or both means the full value in money, excluding the integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax and the cess payable by a person in a transaction, where the supplier and the recipient of the supply are not related and price is the sole consideration, to obtain such supply at the same time when the supply being valued is made.
- (b) "supply of goods or services or both of like kind and quality" means any other supply of goods or services or both made under similar circumstances that, in respect of the characteristics, quality, quantity, functional components, materials, and the reputation of the goods or services or both first mentioned, is the same as, or closely or substantially resembles, that supply of goods or services or both.

www.cggst.com

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 35 : एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर प्रदाय का मूल्य

जहां प्रदाय के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सिमालित हैं, वहां कर की रकम को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :— कर की रकम = (करों सिहत मूल्य  $\mathbf{x}$  यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर)/(100 + कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है) स्पष्टीकरण : इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, —

- (क) माल, सेवा या दोनों की प्रदाय के "खुले बाजार मूल्य" पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपर्जित करने पर आता है, जहां प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और उस समय, जब प्रदाय का मूल्य किया जाता है, ऐसी प्रदाय को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है;
- (ख) "उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की प्रदाय" पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य प्रदाय अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस प्रदाय के प्रकार की या निकटतम अथवा सारतः उसके सदृश्य हैं।